न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 15/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/17)

शारदा देवी पत्नी स्व. गोपालराम जाति मेघवाल निवासी अलखपुरा गोदारान पोस्ट दीनवा जाटान तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1. मघाराम पुत्र आसाराम मेघवाल निवासी स्वरूपदेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. गोपालराम जाति मेघवाल निवासी अलखपुरा गोदारण तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
3. मुकेश माहिच पुत्र स्व. गोपालराम जाति मेघवाल निवासी अलखपुरा गोदारण तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
4. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार रावतसर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री मदन सुरोलिया – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हरीश मदान – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 12.02.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रावतसर (पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प नैयासर तहसील रावतसर) के निर्णय दिनांक 01.06.2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प नैयासर तहसील रावतसर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर ग्राम लुणासर की जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या 262 के खसरा नं. 385/293 कि 3.0870 है0 मे मंगलाराम पुत्र आशाराम के स्थान पर मघाराम पुत्र आशाराम व खाता नं. 252 की 7.097 है0 में से 1/2 हि0 में मगला वल्द आशाराम मेघवंशी के स्थान पर मघाराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल सही करने का निवेदन किया। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 01.06.2018 द्वारा प्रार्थना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पत्र स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 एवं 3 को पहले साधारण नोटिस एवं बाद जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल रहे।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प नैयासर तहसील रावतसर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर ग्राम लुणासर की जमाबन्दी संवत 2047–77 खाता संख्या 262 के खसरा नं. 385/293 कि 3.0870 है0 मे मंगलाराम पुत्र आशाराम के स्थान पर मघाराम पुत्र आशाराम व खाता नं. 252 की 7.097 है0 में से 1/2 हि0 मगला वल्द आशाराम मेधवंशी के स्थान पर मघाराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल सही करने का प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी की रिपोर्ट ली जाकर तहसीलदार ने पीठासीन अधिकरी को भेज दिया। पीठासीन अधिकारी द्वारा उसी दिन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत मातहत ने न तो अपीलान्ट को सबूत एवं सुनवाई का अवसर दिया, और न ही कब्जे के संबध मे कोई जांच की गई। जबकी उक्त भूमि पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंन्ट संख्या 2 व 3 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में कही पर भी यह अंकित नही किया कि रिकार्ड में दुरूस्ती क्यो करवाना चाहता है। अपीलान्ट ने तहसीलदार के संमक्ष सन् 2011 मे एक प्रार्थना पत्र दुरूस्ती का पेश किया था जिस पर तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। अपीलान्ट आदेश जेर अपील मे हितबद्व पक्षकार है। उसे सुना बिना जो आदेश पारित किया गया है वह खिलाफ कानून है। अपीलान्ट अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 अपीलान्ट के पुत्र है उनका आराजी जैर मे हक व हिस्सा है, उनसे कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट अनुसूचित जाति की विकलांग अनपढ बेवा औरत है, कानून की बारीकियो का उसको कोई जानकारी नही है। अतः जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 खारिज किया जावे और आराजी जैर अपील राजस्व रिकार्ड मे मंगलाराम पुत्र चन्द्राराम मेघवाल दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट के पास ऐसा कोई दस्तावेज नही है जिसमे मंगलाराम पुत्र चन्द्राराम मेघवाल के नाम जमील अलोट हुई हो। जमीन हमारे नाम से अलोट हुई है, हमारा पुराना अलोटमेन्ट है जिसका हमने दस्तावेज पेश किया है, अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेज, पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार दुरूस्ती का आदेश दिया है जो सही है। अपीलान्ट ने रेवेन्यु रिकार्ड में कहा गलती हुई ये नही बता रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गलती नही की गई है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट के नाम कोई दस्तावेज नही है। अपीलान्ट ने अपनी जमीन बैच दी है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट हितबद्व पक्षकार नही है। अपीलान्ट का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई लेना देना नही है। अपीलान्ट के दादा ससुर का नाम मंगलाराम पुत्र चन्द्राराम है ना की मंगलाराम पुत्र आशाराम है। वादग्रत भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम रिकार्ड मे सहबन से मधाराम पुत्र आशाराम के स्थान पर मंगलाराम पुत्र आशाराम दर्ज हुआ जिसे दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र मंजूर हुआ है। अपीलान्ट के ससुर का नाम मंगलाराम पुत्र चन्द्राराम है, उनका उक्त कृषि भूमि से कोई संबध नही था, इस वजह अपीलान्ट का भी नही है। गोदनामा उसके पति को मंगलाराम पुत्र चन्द्राराम के द्वारा लिये गये है, के आधार पर अपील पेश की है। जो विवादस्पद है। इसके साथ अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी वर्ष 2018 से ही है। रेवेन्यू रिकार्ड मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम दर्ज है। कानून का सिद्धान्त है कि पब्लिक डोक्यूमेन्ट की तमाम व्यक्यिो को जानकारी होती है। अपीलान्ट द्वारा अपील वर्ष 2022 में पेश की है जो मियाद बहार है। अतः अपीलान्ट हितबद्व पक्षकार नही होने एवं अपील मियाद बहार होने एवं अपीलान्ट के पास उक्त भूमि के दस्तावेज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नही होने के कारण अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील राजस्व लोक अदालत अभियान,न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प नैयासर तहसील रावतसर के आदेश दिनांक 01.06.2018 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 08.03.2022 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट विकलांग अनपढ व बेवा औरत है। उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 17.02.2022 को हुई, तथा जिसकी नकल तैयारी हेतु दिनांक 18.02.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया था उसे बिना सुने एक तरफा आदेश पारित किया गया था। अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

8. पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से पाया है कि राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार –2018 कैम्प नैयासर तहसील रावतसर में राजस्व दुरूस्ती के तहत खाता सं. 262, 252 में मगलाराम व मंगला के स्थान पर मघाराम तथा कौम हरीजन के स्थान पर मेंधवाल दर्ज किये जाने संबधी आदेश दिनांक 01.06.2018 को पारित किये गये। पत्रावली में उपलब्ध भू–प्रबन्ध विभाग के पर्चा लगान अनुसार खसरा नं. 54 व 100 ग्राम स्वरूपदेसर तहसील नोहर के खातेदार के रूप में मघाराम/ आसाराम मेंधवशी गैर खातेदार दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे मघाराम के स्थान पर मंगलाराम कैसे आया इसकी तहकीकात की जानी नही पाई गई है, साथ ही राजस्व रिकार्ड में अगर त्रुटि है तो कब से है व त्रुटि कैसे रिकार्ड

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में आई इसका विवेचन भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विस्तृत जांच व हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई के निर्णय पारित किया जाना परिलक्षित हुआ है। उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत जांच व हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई की जाकर नियमानुसार निस्तारण करे। तद्नुसार विधिवत रिकार्ड मे इन्द्राजात किया जावे। अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर